न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 150/2018 (2018/00415) दर्ज दिनांक 20.12.2018
वाद— अन्तर्गत धारा —88 आर0टी0ए0

शीर्षक

सोहनलाल आत्मज मोती खटीक निवासी खांखलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः— श्री रितेश सुराणा
प्रतिवादीः— पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::

निर्णय

दिनांक 25.09.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद वाबत् घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खांखला, पटवार हल्का खांखला तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मोती आत्मज चेना खटीक के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात साबिक राजस्व खाता संख्या 67, 68, 69, 70 व 751 पर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबंदिया साथ प्रस्तुत है।

यह कि मोती आत्मज चेना खटीक की मृत्यु होने पर उनकी विरासत का नामान्तरण संख्या 1071 दिनांक 24.11.1979 को फैसल किया गया, जिसके मृतक मोती के वारिसान में मुझ वादी का नाम कैलाश अंकित कर दिया गया है। जबकि मुझ वादी का नाम सोहनलाल है। प्रमाण में नकल नामान्तरकरण संख्या 1071 की प्रति साथ प्रस्तुत है।

यह कि मृतक मोती की [illegible] व मै वादी सोहनलाल ही जीवित वारिसान [illegible], जिनका संरक्षक [illegible] काका मोहन आत्मज चेना को बनाया गया। लकिन [illegible]वारी हल्का द्वारा नामान[illegible] करण भरते समय अन्य व्यक्ति द्वारा बताये अनुसार मुझ वादी का नाम कैलाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कर दिया और पंचायत द्वारा उसके सही मानते हुए फैसल कर दिया गया है जबकि मुझ वादी के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सोहनलाल अंकित है। प्रमाण में विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां साथ प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम खांखलां में सोहनलाल आत्मज मोती खटीक एवं कैलाश आत्मज मोती खटीक नाम का मै वादी अकेला ही व्यक्ति हूँ।

यह कि ग्राम खांखलां का नवीन भू प्रबंध हुआ, जिसमें मोती जी की विरासत से प्राप्त भूमियो के वर्तमान खाता संख्या 157, 454, 700, 17, 18, 82, 139 आदि बने हुए है जो ग्राम खांखलां एवं ममता नगर में है, जिनमें भी मुझ वादी का नाम गलत नामान्तरकरण के आधार पर मुझ वादी का नाम कैलाश ही दर्ज चला आ रहा है जबकि मेरा वास्तविक नाम सोहनलाल है। जिससे राजस्व जमाबंदी में भी मुझ वादी का नाम सोहनलाल दर्ज कराया जाना न्यायोचित है।

यह कि मुझ वादी के मूल दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड से भिन्न दस्तावेजात से मुझ वादी का नाम सोहनलाल आत्मज मोती खटीक ही दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम कैलाश आत्मज मोती खटीक के नाम दर्ज है। जिससे मुझ वादी को भारी कठिनाईयों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा मुझ वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमियों को विकसित करने ऋण आदि प्राप्त करने एवं कृषि संबंधी लाभ अनुदान जो सरकार द्वारा जारी किये जाते है नाम अलग–अलग दर्ज होने से उनको प्राप्त करने से वंचित रह जाता हूँ। जिससे राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम कैलाश आत्मज मोती खटीक के बजाय सोहनलाल आत्मज मोती खटीक दर्ज करने की घोषणा करवाई जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से यह वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा हेतु प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादर फरमायी जावें कि ग्राम खांखलां एवं ममतानगर तहसील सहाड़ा के वर्तमान राजस्व खाता संख्या 157, 454, 700, 18, 17, 82, 139 आदि में खातेदार कैलाश आत्मज मोती खटीक के बजाए सोहनलाल आत्मज मोती खटीक अंकित कराया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं एवं वादी स्वयं साबित करें हेतु निवेदन किया जिससे प्रतिवादी की जवाबदेही बंद की गई। वादी में अपने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिस पर बयान PW-1 [illegible] दिलाई गई कि मैने अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ – पत्र दिनांक [illegible] जिस पर A से B मेरे हस्ताक्षर है। मैनें जमाबंदी [illegible] पेश की जो प्रदर्श–1 है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

जिसका खाता संख्या 157 है। प्रदर्श – 2 जमाबंदी खाता संख्या 454, प्रदर्श –3 जमाबंदी खाता संख्या 700, प्रदर्श–4 जमाबंदी खाता संख्या 17, प्रदर्श–5 जमाबंदी खाता संख्या 18, प्रदर्श–6 खाता संख्या 82, प्रदश–7 खाता संख्या 139, साबिक जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 पेश की जो प्रदर्श 8 है, नामान्तरकण दिनांक 06.10. 1979 पेश किया जो प्रदर्श – 9 है , असल राशन कार्ड प्रदर्श– 10 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–10 A है, मूल आधार कार्ड प्रदर्श–11 की फोटो प्रति प्रदर्श – 11 A है, लाइट बिल प्रदर्श 12, पहचान पत्र प्रदर्श– 13 की फोटो प्रति प्रदर्श– 13 A है प्रदर्श – 14 ग्राम पंचायत का प्रमाण – पत्र पेश किया। जिस पर जिरह पैरोकार सरकार द्वारा की गई कि कैलाश पिता मोती खटीक नाम का खांखला में कोई दूसरा व्यवित्त नही है सोहन लाल को ही कैलाश कहते है। हम दो भाई है। मेरे काका जी का नाम मोहन लाल, लेहरू लाल, रामलल आदि है। मेरे पिताजी जब मैं 2–3 साल का था तब ही गुजर गये थे जो लगभग 42 साल हो गये । मेरे पिताजी का विरासत का खाता खुलवाया उस समय मेरा नाम घर पर कैलाश बोलते थे पटवारी द्वारा जानकारी करने पर मेरा नाम कैलाश बताया था इसलिये कैलाश के नाम से खोल दिया। मेरी पहचान के समस्त दस्तावेज सोहनलाल के नाम से ही है।

साथ ही बयान गवाह PW-2 व PW-3 कमाशः पिरूमल पिता रामलाल खोईवाल, बंशीलाल पिता नारू खटीक सर्व निवासी खांखलां तहसील सहाड़ा के पेश किये जिनके द्वारा शपथ दिलाई गई कि मै सोहनलाल को जानता हूँ। सोहन के पिताजी का नाम मोतीजी है । यह मेरे बड़े पिता का लड़का है। सोहन लाल कैलाश नाम से भी जानते है। इसके समस्त दस्तावेज सोहन नाम से बने है। सोहनलाल ने अपना नाम शुद्धीकरण हेतु दावा पेश किया है। सोहन लाल का खाते में नाम उसके काका मोहन जी ने लिखा दिया है जो कैलाश नाम से है। मोहन जी की मृत्यु हो गई। कैलाश पिता मोती खटीक एवं सोहन पिता मोती खटीक दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रेकार्ड में दस्तावेज अनुसार नाम शुद्ध किया जावें। जिन पर जिरह पेरोकार सरकार द्वारा की गई कि खांखलां में कैलाश नाम का एक व्यक्ति और है जिसके पिता का नाम शंकर लाल खटीक है एवं इसी प्रकार सोहन लाल नाम का दूसरा व्यक्ति जिसके पिता का नाम चुन्नीलाल खटीक है। सोहनलाल पिता मोतीलाल ही कैलाश पिता मोतीलाल खटीक है। इस नाम का ओर कोई व्यक्ति नहीं है।

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा शपथ बयान गवाहों व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर वादपत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया [illegible] प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वादी ने अपने साक्ष्य में कु[illegible] प्रस्तुत शपथ–पत्र, बयान गवाह PW-2 , PW-3 व PW-1 [illegible] के अवलोकन एवं जिरह पेरोकार सरकार के आधार पर वादी का वाद [illegible] घोषणा यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझाता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः— 150/2018 (2018/00415)
वाद— अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

—ः आदेश ः—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खांखलां एवं ममतानगर तहसील सहाड़ा के वर्तमान राजस्व खाता संख्या 157, 454, 700, 18, 17, 82, 139 आदि में खातेदार कैलाश आत्मज मोती खटीक के बजाए सोहनलाल आत्मज मोती खटीक राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 150/2018 (2018/00415) दर्ज दिनांक 20.12.2018
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0ए0

शीर्षक

सोहनलाल आत्मज मोती खटीक निवासी खांखलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री रितेश सुराणा
प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश सुराणा , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.09.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खांखलां एवं ममतानगर तहसील सहाड़ा के वर्तमान राजस्व खाता संख्या 157, 454, 700, 18, 17, 82, 139 आदि में खातेदार कैलाश आत्मज मोती खटीक के बजाए सोहनलाल आत्मज मोती खटीक राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:50:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 25.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner